संख्या-41/2024/2039/77-6-24-6099/185/2022 पार्ट-1

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पिकप।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 22-08-2024**

विषयः उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मेसर्स जे0के0 सीमेन्ट वर्क्स, अलीगढ़ को दी जाने वाली सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत गठित इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 04.07.2024 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियों के अनुसार निम्न इकाई को मेगा परियोजना अंतर्गत अनुमन्य विशेष वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें वितरित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार निम्न इकाई को निम्नानुसार वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें अनुमन्य कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

मेसर्स जे0के0 सीमेन्ट वर्क्स, अलीगढ़ (जे0के0 सीमेन्ट लि0 की एक इकाई) (पश्चिमांचल क्षेत्र) को सुविधाएं वितरित करने हेतु प्रस्ताव।

मेसर्स जे.के. सीमेन्ट लि0 को जिला अलीगढ़ (पश्चिमांचल क्षेत्र) में सीमेण्ट ग्राइंडिंग की परियोजना दो चरणों में स्थापित करने हेतु औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 की क्रियान्वयन नियमावली के अन्तर्गत दिनांक 3.1.2020 को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया है।

इकाई को दिनांक 3.2.2020 से 30.6.2021 की अवधि तक विभिन्न सुविधाओ हेतु कुल राशि रु0 34,38,58,978.00 का अनुमोदन/वितरण करने के पश्चात वर्तमान प्रस्ताव एवं भविष्य में कंपनी के प्रस्तावों हेतु स्वीकृत सुविधाओं की शेष राशि/अवधि निम्नवत है:-

क्र0 सं0	**विवरण**	**स्वीकृत सुविधाओं की कुल राशि (रू0)**
1.	10 वर्षों हेतु इकाई को देय/स्वीकृत सुविधाओं की अर्हता (पश्चिमांचल क्षेत्र में स्थापित होने के कारण स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत के समतुल्य) परियोजना के कुल सत्यापित निवेश के सापेक्ष सुविधाओं की अन्तिम अर्हता द्वितीय चरण के पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित की जायेगी।	183,32,41,680
2.	सुविधाओं हेतु अनुमन्यता तिथि	3.2.2020
3.	सुविधाओं हेतु पात्र अवधि	10 वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(3.2.2020 से 2.2.2030)
4.	3.2.2020 से 30.6.2021 की अवधि तक वित्तीय सुविधाओं का अनुमोदन/वितरण	34,38,58,978*
5.	स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष राशि (1-4)	148,93,82,702
6.	वितरण हेतु वर्तमान प्रस्ताव (छूट के रूप में प्राप्त सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए) - 1.7.2021 से 31.3.2023 की अवधि हेतु	60,80,29,840
7.	प्रस्तावित सुविधाओं के वितरण के पश्चात स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष राशि(5-6)	88,13,52,862
8.	स्वीकृत सुविधाओं के वितरण हेतु शेष अवधि	6 वर्ष 10 माह

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं0 1281/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में 01.10.2020 से 30.6.2021 की अवधि हेतु कुल देय राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि रू0 3,43,85,898.00 होल्ड की गयी है।

कम्पनी का 1.7.2021 से 31.3.2023 की अवधि के लिए सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु क्लेम इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष विचारार्थ निम्नवत प्रस्तुत किया गयाः-

(राशि रू. में)

क्र0सं0	**सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण**	**2021-22**	**2022-23**
1.	उत्पादित माल पर जमा की गयी सत्यापित कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि	73,24,68,242@	79,83,14,130@
2.	नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि	51,27,27,769	55,88,19,892
3.	पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति	-	-
4.	इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट	95,61,858	1,56,62,661
5.	**कुल (2+3+4)**	**52,22,89,627**	**57,44,82,552**
6.	**वितरण योग्य अर्ह राशि**	**36,66,48,336@**	**36,66,48,336@**
7.	**घटाया- इकाई को पूर्व में वितरित सुविधा की राशि**		-
	- नेट एस.जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति - 1.4.2021 से 30.6.2021	12,52,66,832	-
		24,13,81,504	**36,66,48,336**
	घटाया- इकाई को छूट के रूप में प्राप्त सुविधा की राशि		
	- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट	95,61,858	1,56,62,661
8.	**वितरण हेतु शुद्ध राशि**	**23,18,19,646**	**35,09,85,675**
9.	**वितरण हेतु शुद्ध राशि 1.7.2021 से 31.3.2023**		**58,28,05,321***

@ सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि में जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा। साथ ही अनुमन्य पूँजी निवेश के 20 प्रतिशत की वार्षिक सीमा (रू0 36,66,48,336/-) से अधिक प्रतिपूर्ति नही की जायेगी।

*एस.ओ.पी. शासनादेश सं0 1281/77-6-2021-5(एम)/2013टी.सी.(मेगा)-1 दिनांक 26.03.2021 के अनुपालन में कुल देय राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि होल्ड की जायेगी। तत्पश्चात कुल देय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक खर्चों के रूप में 1.5 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी।

2- उपर्युक्त औद्योगिक इकाई को उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें निम्नवत शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगी-

1. प्रश्नगत औद्योगिक इकाईयों को जिन सुविधाओं/रियायतो हेतु धनराशि का वितरण किया जाना है वह उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 तथा सुसंगत शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य सीमा के भीतर, पात्र पूंजी निवेश के वास्तविक सत्यापन के अधीन एवं तत्संबंधी शर्तो के अनुसार अनुमन्य होंगी।
2. सुसंगत शासनादेशों/अधिनियम/विनियम/दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
3. शासनादेश संख्या-1281/77-6-2021-5(एम)/13टीसी (मेगा-1), दिनांक 26.03.2021 में वर्णित मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. औद्योगिक इकाईयों के वित्तीय प्रोत्साहन के दावे की वितरित की जाने वाली धनराशि के आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी।
5. उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अंतर्गत मेगा परियोजनाओं की स्थापना हेतु इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार सुविधायें/रियायतें दी जायेगी।

3- अतः कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस संबंध में आवश्यक वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्रमाणित विवरण सहित शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनिल कुमार सागर

प्रमुख सचिव।

संख्या-41/2024/2039(1)/77-6-24-6099/185/2022 पार्ट-1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शसन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
4. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश यादव

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in